

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संचिका सं०-प्र०५(२)बजट(गै०यो०)-०६/२०१६ ४१६४४/खाद्य, पटना/दिनांक- ३०.०३.१७

शुद्धि पत्र

विभागीय पत्रांक-८१ (बजट) दिनांक-२९.०३.२०१७ के द्वारा मुख्यशीर्ष ३४५६ सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष ००, लघुशीर्ष ००१ निदेशन और प्रशासन, मांग संख्या- १८, उपशीर्ष ०००२ जिला प्रभार, विपत्र कोड संख्या- एन०-३४५६००००१०००२ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिए कुल १,००,६०,०४८/- (एक करोड़ साठ हजार अड़तालीस) रुपये के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।

२. उक्त विभागीय आवंटन आदेश में कंडिका ०१ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ अन्तर्गत राशन एवं किरासन कूपन योजना हेतु पंजी संधारण के लिए विभिन्न पंजियों के क्रय एवं मुद्रण अंकित है, को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड मुद्रण एवं राशन किरासन कूपन वितरण पंजी क्रय हेतु प्रकाशन एवं मुद्रण मद में संबंधित जिला पदाधिकारी को, पढ़ा जाय एवं कंडिका-३ में जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अनुमण्डल आपूर्ति कार्यालय एवं प्रखंड आपूर्ति कार्यालय अंकित हैं, को जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ आपूर्ति कार्यालय को पढ़ा जाय। शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

विभागीय आवंटन आदेश संख्या- ८१ (बजट) दिनांक-२९.०३.२०१७ को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ज्ञापांक-प्र५(२)बजट-(गै०यो०)-०६/२०१६-४१६४४/खाद्य,पटना-१५, दिनांक-३०.०३.१७
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र५(२)बजट-(गै०यो०)-०६/२०१६-४१६४४/खाद्य,पटना-१५, दिनांक-३०.०३.१७
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र५(२)बजट-(गै०यो०)-०६/२०१६-४१६४४/खाद्य,पटना-१५, दिनांक-३०.०३.१७
प्रतिलिपि:-सभी संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र५(२)बजट-(गै०यो०)-०६/२०१६-४१६४४/खाद्य,पटना-१५, दिनांक-३०.०३.१७
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

सरकार के विशेष सचिव।